नागरिकता
(Citizenship)

नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है, जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, जो किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है और वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है।

नागरिकता संबंधी प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग-2, अनुच्छेद-5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है। संविधान में केवल यह उल्लिखित है कि संविधान के लागू होने के समय अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद-11 नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को देता है। किसी संप्रभु राष्ट्र में राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं, **वे इस प्रकार हैं** -

- केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, (अनुच्छेद-15)।
- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, (अनुच्छेद-16)।
- विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, (अनुच्छेद-19)।
- अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, (अनुच्छेद-29)।
- अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध का अधिकार है, (अनुच्छेद-30)।

कुछ उच्च पदों जैसे-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। संसद और राज्य विधान मण्डलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं।

संवैधानिक प्रावधान

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किये जाने के साथ ही अनुच्छेद-5 से 8 तक के नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए। अनुच्छेद-5 से 8 तक जन्म, प्रवसन (एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थायी रूप से निवास करने के आशय से जाना) या अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है। संविधान के प्रारंभ में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, **जो इस प्रकार हैं** -

- ऐसा व्यक्ति, जो भारत में जन्म लिया है और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका निवास स्थान है। चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, (अनुच्छेद-5 (a))।
- वह व्यक्ति, जो भारत में पैदा न हुआ हो, परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हो तथा उसके माता-पिता में से किसी का भी जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ था। उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो, (अनुच्छेद-5 (b))।
- वह व्यक्ति, जिसका जन्म भारत में न हुआ हो और जिसके माता या पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, लेकिन वह व्यक्ति भारत का निवासी हो और संविधान लागू होने के ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर रहा हो। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के माता-पिता की राष्ट्रीयता का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता कि उनकी राष्ट्रीयता क्या है? यह प्रावधान भारत में निवास कर रहे पुर्तगालियों के लिए था, (अनुच्छेद-5 (c))।

पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भी भारतीय नागरिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें थीं, जैसे -

- यदि वह या उसके माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो (1935 के अधिनियम के अंतर्गत् भारतीय राज्य क्षेत्र का)।
- यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो और मामूली तौर पर ही भारत में रहा हो।
- यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद भारत आया हो और संविधान लागू होने के पहले ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया हो और उसका इस आधार पर नागरिकता के लिए रजिस्ट्रीकरण किया गया है कि वह आवेदन देने की तारीख के ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास किया है, (अनुच्छेद-6)।
- कोई ऐसा व्यक्ति, जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था और वह भारत वापस आ गया। लेकिन उसकी वापसी विधि के अनुसार हुई है, जिसके लिए आवश्यक है कि वह अनुच्छेद-6 (b) (ii) के अनुसार अपने आप को रजिस्ट्रीकृत करवा ले, (अनुच्छेद-7)।
- ऐसा व्यक्ति अथवा उसके दादा-दादी, नाना-नानी में से कोई भी भारत में (1935 अधिनियम के अंतर्गत् भारतीय राज्य क्षेत्र) जन्मा हो, लेकिन वह भारत से बाहर किसी देश में मामूली तौर पर रह रहा हो, तो वह अपने निवास वाले देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के यहां भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रीकरण करा सकता है, (अनुच्छेद-8)। यह प्रावधान विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए था।

नागरिकता अधिनियम, 1955

भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में विधि-निर्माण का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत् वर्ष-1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, (अनुच्छेद-11)। वर्ष-1986, 1992, 2003, 2005 एवं 2015 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया। **इस अधिनियम के अनुसार, भारतीय नागरिकता पांच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है** - 1. जन्म से नागरिकता। 2. वंशाधिकार द्वारा नागरिकता। 3. पंजीकरण द्वारा नागरिकता। 4. देशीयकरण द्वारा नागरिकता। 5. राज्य क्षेत्र में मिल जाने से।

1. जन्म से नागरिकता

भारत में जन्म से (26 जनवरी, 1950 के बाद) तथा माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए (Jus Soli Law of the Soil)। इस विधि के दो अपवाद हैं - **प्रथम,** यह विधि वहां लागू नहीं होती, जहां जन्म के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक (Diplomat) हो, **द्वितीय,** शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले बच्चे हों।

2. वंशाधिकार द्वारा नागरिकता

भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। यदि जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है, अर्थात् रक्त का संबंध है, (Law of blood) तो उन व्यक्तियों के बच्चे जो भारत के नागरिक न होते हुए भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं, वे पंजीकरण द्वारा वंशानुगत् भारतीय नागरिक बन सकते हैं।

3. पंजीकरण द्वारा नागरिकता

ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर भी पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे-भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 के पहले उपरोक्त निवास करने की अवधि मात्र छः (6) महीने थी। भारतीय उद्गम के वे व्यक्ति, जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में रह रहे हों व भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां तथा भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे।

4. देशीयकरण द्वारा नागरिकता

किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। **इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं** -

- वह जिस देश का नागरिक है, उसकी नागरिकता का त्याग।

- वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, जहां देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो।
- देशीयकरण (Naturalization) के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम एक वर्ष तक भारत में रहा हो।
- वह पूर्ण आयु, क्षमता तथा सच्चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
- राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखना अथवा निश्चित रूप से निष्ठा की एक शपथ लेना चाहिए।
- एक विशेष उपबंध के तहत् यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति अथवा मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो, तो उसे उपरोक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी नागरिकता देशीयकरण के द्वारा दिया जा सकता है।

5. किसी क्षेत्र के भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने से प्राप्त नागरिकता

यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए अथवा कर लिया जाए। उदाहरण के लिए, वर्ष-1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया। अत: सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए, तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे। भारत में केवल एकल नागरिकता (Single Citizenship) है। भारत की नागरिकता को अनुच्छेद-11 के अंतर्गत् संसद कानूनों के माध्यम से नियंत्रित/विनियमित (Regulate) करती है।

नागरिकता की समाप्ति (Termination of Citizenship)

अनुच्छेद-10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद-11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की निर्बाध शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार **किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के तीन आधार हैं** -

1. **परित्याग (Renunciation) -** भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है, जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है।
2. **पर्यावसान (Termination) -** भारत का वह नागरिक, जिसने देशीकरण अथवा रजिस्ट्रीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी और वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है।
3. **वंचित किया जाना (Deprivation) -** ऐसा भारतीय नागरिक, जो रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को **भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है** -

- संविधान के प्रति निष्ठा न रखने अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को।
- युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को।
- यदि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक अर्थात् गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित की है।
- देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर।
- किसी भारतीय नागरिक स्त्री/पुरुष द्वारा दूसरे देश के स्त्री/पुरुष के साथ विवाह करने पर।
- लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर।

नागरिकता संबंधी विवाद

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने (13वीं लोक सभा) इस विवाद को जन्म दिया कि देशीयकरण (Naturalization) अथवा पंजीकरण (Registration) के द्वारा नागरिकता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम संवैधानिक पद अर्थात् प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है अथवा नहीं। लोक सभा के चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान सामान्य नागरिक (Ordinary Citizen) और देशीयकृत नागरिक (Naturalized Citizen) में कोई विभेद नहीं करता और कोई भी लोक सभा सदस्य सांविधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन

सकता है, यदि उसे लोक सभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समता का आश्वासन और अनुच्छेद-16 सरकारी नियोजनों व नियुक्तियों में अवसर की समता देता है तथा किसी भी विभेद (Discrimination) को रोकता है। अत: भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीयकृत नागरिक (Naturalized Citizen) को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। अमेरिकी संविधान अपने देशीयकृत नागरिकों (Naturatized Citizen) को केवल सीनेट सदस्य (भारत का राज्य सभा) बनने का अधिकार देता है और अमेरिका में पैदा व्यक्ति ही अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में ऐसे नियम के पीछे आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) प्रमुख कारण है, जो कि बहुत तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि राज्य की सुरक्षा (Security of State) का पद भी महत्वपूर्ण होता है और आंतरिक सुरक्षा हेतु संकट पैदा कर सकता है। अत: सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अमेरिकी संविधान की दोषपूर्ण विधि का सहारा नहीं लिया जा सकता। प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के लिए अनिवार्य दक्षता है अथवा नहीं, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

विदेशी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान

भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे भारतीय मूल के विदेशों में बसे भारतीयों को भारत सरकार विशेष सुविधाएं देती हैं, **जो इस प्रकार हैं** -

1. अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian **: NRI**)
2. भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin **: PIO**)
3. भारत के समुद्रपारीय नागरिक (Overseas Citizenship of India : **OCI**)

1. अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian : NRI)

अनिवासी भारतीय शब्द भारत के टैक्स कानून में उल्लिखित है। ऐसे भारतीय नागरिक, जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक समयावधि तक विदेशों में रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय (NRI) कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) और अन्य विदेशी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीयों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें भी भारत के आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए। भारत सरकार द्वारा वर्ष-2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए सुविधा प्रदान कर दी गई। केंद्र सरकार द्वारा 3 फरवरी, 2011 को निर्वाचन आयोग के परामर्श से मतदाता पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2011 प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध करना है। फॉर्म-6 के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकेंगे।

2. भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin : PIO)

वे व्यक्ति, जो लगभग चार पीढ़ी पहले भारत से जा चुके थे और उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली थी। इन भारतीयों के संतानों को भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कहा जाता है, अर्थात् जिनके माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत् आने वाले भारत का निवासी रहा था। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक थे अथवा कभी रहे थे, उनकी संतानों को भारतीय मूल का दर्जा नहीं प्राप्त होगा।

भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड के लाभ

वर्ष-2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड (PIO Card) की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा **इस कार्ड के द्वारा भारतवंशियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई थीं** -

- भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकता है।
- भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक **'विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी'** (Foreigners Regional Registration Officer **: FRRO**) के पास पंजीकरण कराने से छूट दी गई है।
- भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) जैसे धारक को भी अनिवासी भारतीयों (NRI) जैसे-आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती हैं, जैसे-भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) का कार्ड धारक

कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं दिए गए हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) के कार्ड धारक की नियुक्ति नहीं हो सकती और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) का कार्ड धारक यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। वर्ष-2015 में इसे समाप्त करके इसका विलय समुद्रपारीय नागरिकता में कर दिया गया।

3. भारत के समुद्रपारीय नागरिक (Overseas Citizenship of India: OCI)

भारत सरकार द्वारा समुद्रपारीय नागरिकता का प्रारंभ वर्ष-2005 से किया गया है, जिसके अनुसार नागरिकता अधिनियम, 1955 के खण्ड-7(A) के अंतर्गत् रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं - ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात् कभी भी भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था। वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है, अथवा भारत के किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति के पुत्र-पुत्री, पोता-पोती अथवा नाती-नातिन को भी ओ. सी. आई. कार्ड जारी किया जा सकता है और वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा हो, वह समुद्रपारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। इसे लोकप्रिय रूप में दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है, जिसके अनेक लाभ हैं।

भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) कार्ड के लाभ

समुद्रपारीय भारतीय नागरिकों (OCI) को बहुउद्देशीय आजीवन वीजा (Multipurpose lifelong visa) दिया जाता है, जिससे समुद्रपारीय भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड धारक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत आ सकता है। विदेश पंजीकरण अधिकारी (Foreign Registration Officer : FRO) के पास पंजीकरण कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अत: इनको पंजीकरण कराने से छूट प्राप्त है। ओ. सी. आई. कार्ड धारकों को अनिवासी भारतीयों (NRI's) को प्राप्त आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन इन्हें भूमि अथवा कृषि संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। ओ. सी. आई. कार्ड प्राप्त व्यक्तियों को भारत के कुछ महत्वपूर्ण उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि। ओ. सी. आई. दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को संसद तथा राज्य विधान मंडल की सदस्यता जैसे राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिए गए हैं तथा इन्हें सरकारी नौकरियों (संघ एवं राज्य सरकारों) के लिए भी योग्य नहीं माना गया है।

समुद्रपारीय नागरिकता की समाप्ति

यदि कोई व्यक्ति, जिसे ओ. सी. आई. का दर्जा प्राप्त है, वह समुद्रपारीय भारतीय नागरिकता (OCI) को त्यागना चाहता है, तो उसे इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करना पड़ेगा और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही ओ. सी. आई. दर्जा प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त **निम्नलिखित आधार पर समुद्रपारीय नागरिकता (OCI) भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है** -

- यदि कोई व्यक्ति झूठे तथ्यों के आधार पर अथवा कोई तथ्य छुपाकर समुद्रपारीय नागरिकता (OCI) प्राप्त किया है।
- भारत के संविधान के प्रति असम्मान प्रकट करता है।
- भारत के युद्धरत होने की दशा में शत्रु देश के साथ व्यापार करना अथवा ऐसी जानकारी को साझा करना, जिससे शत्रु देश को लाभ हो और भारत को नुकसान पहुंचे।
- समुद्रपारीय नागरिकता (OCI) प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों की समयावधि के अंदर 2 वर्षों तक जेल में रहने पर ओ. सी. आई. दर्जा समाप्त किया जा सकता है।
- भारत सरकार की दृष्टि में ओ. सी. आई. कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति से भारत की संप्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा एवं जनहित को नुकसान हो सकता है।

वर्तमान स्थिति

भारतीय संसद द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक से भारतीय नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड (PIO-Card) तथा समुद्रपारीय भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड को एक साथ मिला देने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक द्वारा पी. आई. ओ. कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है और अभी तक जारी किए गए पी. आई. ओ. कार्ड को ओ. सी.

आई. कार्ड का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। ओ. सी. आई. कार्ड धारक व्यक्तियों का लाभ उनकी चौथी पीढ़ी तक के बच्चों को मिलेगा, जबकि यह सुविधा अभी तक केवल पी. आई. ओ. कार्ड धारक व्यक्तियों को ही मिलता थी।

निष्कर्ष

संविधान निर्माता आरंभिक रूप में नागरिकता का पृथक भाग नहीं बनाना चाहते थे, परंतु भारत विभाजन के बाद नागरिकता के प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया गया और वर्तमान उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर में संविधान में वर्णित एकल नागरकिता व्यावहारिक रूप में दोहरी नागरिकता के साथ जुड़ गई है।

.....

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learnig Platform
KHAN SIR

निर्वाचन आयोग
(Election Commission)

भारतीय संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद-324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हैं। इसका स्वरूप भारतीय राजव्यवस्था में प्रशासनिक है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है, परंतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। निर्वाचन आयोग स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करता है।

संरचना

निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष-1989 तक यह संख्या एकल सदस्यीय थी, लेकिन वर्ष-1989 में ही इस संस्था को तीन सदस्यीय बनाया गया। पुनः अगले वर्ष इसे एक सदस्यीय बना दिया गया और इसके बाद वर्ष-1993 में इसे पुनः तीन सदस्यीय कर दिया गया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर विवाद उठे हैं और इनमें सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति के गठन की मांग की जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य सभा के सभापति एवं विपक्ष के नेता सम्मिलित होंगे।

अन्य आयुक्त

निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रस्थिति अन्य निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उच्चतर नहीं है, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्राथमिकता केवल इतनी ही है कि वह निर्वाचन आयोग की बैठक की अध्यक्षता करता है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए वैधानिक रूप में निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान की कार्यवाही करते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता।

कार्यकाल

निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष तथा वह 65 वर्ष की उम्र तक (जो भी पहले हो) इस पद पर रह सकता है।

हटाने का प्रावधान

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान उसी तरह है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कभी भी नहीं हटा सकता।

निर्वाचन आयोग के कार्य

चुनावों से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। इस संबंध में उसके **निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है -**

1. चुनाव तिथियों का निर्धारण

संविधान के अनुच्छेद-324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधी फैसला करने का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। न्यायालय के अनुसार, सार्वजनिक अशांति चुनावों को टालने की वजह हो सकती है, जैसाकि निर्वाचन आयोग ने गुजरात में किया था।

2. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन (Delimitation of Constituencies)

निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन होता है। परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 में यह प्रावधान है कि दस वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना

चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है और उसके अतिरिक्त इनमें दो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं।

3. मतदाता सूचियां तैयार करना (Preparation of Electoral Rolls)

निर्वाचन आयोग के द्वारा लोक सभा, राज्य सभा एवं विधान सभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती हैं। इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव होता है। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रह जाए, जो मताधिकार की योग्यता रखता हो।

4. राजनीतिक दलों का पंजीकरण

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिह्न आवंटित होता है, जिसे वह पूरे भारत में इस्तेमाल कर सकता है। राज्य स्तर के दलों के लिए उनके राज्य में अथवा राज्यों के चुनाव चिह्न आरक्षित होते हैं, जिनमें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के आरक्षित चुनाव चिह्न केवल उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाते हैं, जिसके लिए वे आरक्षित होते हैं।

5. राष्ट्रीय दल (National Party)

किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए **निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है** -

- यदि कोई दल लोक सभा अथवा विधान सभा के आम चुनावों में चार अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6 प्रतिशत मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों के लोक सभा सीटों में 4 सीटें प्राप्त करता है, अथवा
- कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है, यदि वह लोक सभा में दो प्रतिशत स्थान जीतता है तथा ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, अथवा
- यदि कोई दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हों।

6. राज्य स्तरीय दल (State Party)

किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए **निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है** -

- यदि उस दल ने राज्य की विधान सभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों, अथवा
- यदि वह लोक सभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोक सभा की कम से कम 1 सीट जीती हों, अथवा
- यदि उस दल ने राज्य की विधान सभा के कुल स्थान का 3 प्रतिशत या 3 सीटें जो भी ज्यादा हों, प्राप्त किए हों।

7. अर्द्ध-न्यायिक कार्य (Quasi-Judicial Function)

संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्द्ध-न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जिसमें **दो उल्लेखनीय हैं** - अनुच्छेद-103 के अंतर्गत् राष्ट्रपति, संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है और अनुच्छेद-192 के अंतर्गत् राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के संबंध में यह अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। संविधान अथवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कार्य को करने की कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं की गयी है। इसलिए इस कार्य को करने में आयोग ने कठिनाइयां महसूस की हैं।

8. अन्य कार्य (Other Functions)

आयोग को उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, **जो इस प्रकार हैं** -

- राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
- राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना।
- उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यय की राशि निश्चित करना।
- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना।

- चुनाव याचिकाओं इत्यादि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना।

इन सबके अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिदिन सूचना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए भी सुझाव देता रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-14 के अंतर्गत् जारी की जाती है। इसे वर्तमान लोक सभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी किया जाता है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जा सकता है। इस घोषणा में नामजदगी, पत्रों की जांच की तिथि, चुनाव मैदान से नाम वापस लेने की तिथि इत्यादि का उल्लेख होता है।

निर्वाचन आयोग की शक्तियां

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। यह संस्था भारतीय भू-भाग में किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित जरूरी फाइलों को देख सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं, वह निर्वाचन से संबंधी विवादों का निपटारा तथा उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्यवाही करने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति से सिफारिश करता है।

निर्वाचन आयोग की नई भूमिका

वर्तमान में बदलती परिस्थितियों के परिदृश्य में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका प्रभावी हुई है। वर्ष-1990 के बाद एक ओर विधायिका एवं कार्यपालिका का ह्रास हुआ, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष-1990 के उपरांत निर्वाचन आयोग का उभार भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावी संस्था के रूप में हुआ। वर्ष-1990 के बाद संघ में भी अल्पमत और गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ। भारतीय राजनीति में वर्ष-1996 से 1999 के महज 3 वर्षों में तीन लोक सभा चुनाव आयोजित हुए। इसलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका प्रभावी बनकर उभरी और यह अब 5 वर्षों में केवल एक बार दिखने वाली संस्था नहीं थी। राज्य विधान सभा चुनाव हर वर्ष होने लगे, इसलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका प्रभावी हुई है। चुनाव में धर्म एवं जाति का खुला प्रयोग होने लगा, जिससे ऐसी परिस्थिति में निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct)

यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने वर्ष-1960 के दशक से ही आरंभ कर दिया था, परंतु इसका प्रभावी और महत्वपूर्ण उपयोग वर्ष-1990 के बाद टी. एन. शेषन के कार्यकाल से देखा गया। **चुनाव आचार संहिता का मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं –**

- सरकार में रहने वाले सत्ताधारी दल को सरकार में रहने का कोई लाभ प्राप्त न हो।
- सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करना।

दलों से संबंधित आचार संहिता

- निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले वर्ष-1971 में हुए पांचवें आम चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू किया। इसके उपरांत समय-समय पर आचार संहिता को संशोधित किया गया तथा राजनीतिक दलों के लिए निर्देश जारी किया। वहीं छोटे स्तर पर वर्ष-1960 में केरल विधान सभा चुनावों से ही आदर्श आचार संहिता का प्रयोग शुरू हो गया था।
- इस आचार संहिता का उद्देश्य राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में एक समान अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रचार की व्यवस्थाओं को निष्पक्ष बनाए रखना है।
- राजनीतिक दलों की आलोचना, कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हों, व्यक्तिगत आलोचना प्रतिबंधित है।
- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें, जैसे–रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना इत्यादि।
- राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों।
- दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है।

सत्तारूढ़ दल से संबंधित आचार संहिता

- आचार संहिता लागू होने के पश्चात् सत्तारूढ़ सरकार या प्राधिकरण किसी वित्तीय सहायता, सड़क निर्माण की घोषणा, नई नियुक्तियों की घोषणा नहीं कर सकतीं, क्योंकि ये कार्य मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।
- सत्तारूढ़ दलों पर चुनावी आचार संहिता तोड़ने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं एवं अपने दल के प्रचार के लिए सरकारी धन का तथा सरकारी मीडिया का भी गलत प्रयोग करते हैं। अत: निर्वाचन आयोग उपरोक्त आरोपों की जांच करता है।
- सत्ताधारी दल सरकारी धन पर विज्ञापनों के जरिए उपलब्धियां न गिनवाएं।
- सत्ताधारी दल विश्राम गृह, डाक बंगले या सरकारी आवासों पर एकाधिकार न करें। वे इन स्थानों का इस्तेमाल प्रचार कार्यालय के लिए नहीं कर सकते।
- मुख्यमंत्री या मंत्री शासकीय दौरा नहीं कर सकेंगे।
- विवेकाधीन निधि से अनुदान या स्वीकृति चुनाव उद्घोषणा के दौरान नहीं हो सकेगी।
- शासकीय सेवक किसी भी अभ्यर्थी के लिए निर्वाचक, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे।

चुनाव के समय आचार संहिता

- अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ला या पहचान-पत्र देना।
- मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती।
- मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हों और उसमें प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम न हों।

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया और उससे भी बढ़कर वर्ष-2007 में निर्वाचन आयोग ने पहली बार यह प्रावधान किया कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवारों को अपने नामांकन-पत्र के साथ एक ऐसा हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उम्मीदवार अपने शैक्षिक रिकार्ड, संपत्ति का विवरण तथा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की भी घोषणा करेगा।

चुनाव सुधार

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की आधारभूत शर्तें हैं। भारत में चुनाव में धन व बल का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के द्वारा ही सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण और वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा। चुनाव में धन व बल का प्रयोग लोकतंत्र की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल हैं। चुनाव में अपराधियों का प्रवेश लोकतंत्र की भावना को हतोत्साहित करने वाला है। भारत में चुनाव सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्ता समिति और अनेक अन्य समितियों की भी स्थापना हुई, जिन्होंने **निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर बल दिया** -

राज्य की सहायता (State Funding)

इन्द्रजीत गुप्ता समिति और अन्य समितियों के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का समर्थन किया गया, **जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए –**

- वर्तमान चुनाव प्रणाली में राजनीतिक दल वाणिज्यिक घरानों से चंदा प्राप्त करते हैं। इसीलिए चुनाव जीतने के बाद उसके हितों को पूरा करते हैं। जब राज्यों के द्वारा दलों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो दल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप में कार्य करेंगे।
- राजनीतिक दल सार्वजनिक कार्य को संपादित करते हैं। इसीलिए राज्य के द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
- राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने से सभी राजनीतिक दलों के चुनाव में समान अवसर प्राप्त होंगे और धन के आधार पर कुछ दलों की प्राथमिकता नहीं रहेगी।
- सभी आयोगों ने यह भी कहा है कि दलों को प्राप्त वित्तीय सहायता नकद राशि के रूप में नहीं, बल्कि सुविधाओं के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। जैसे-दलों को सरकारी आवास की सुविधा देना, टेलीफोन एवं संचार माध्यमों पर प्रचार की सुविधा देना।

विपक्ष में तर्क

राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता देने से चुनाव में धन का प्रयोग नहीं रुकेगा। राजनीतिक दल सरकार के द्वारा प्राप्त पैसे का उपयोग चुनाव के अलावा अन्य गतिविधियों में भी कर सकते हैं। कई लोग पैसा प्राप्त करने के लिए दलों का निर्माण कर लेंगे, जिससे वे राज्य से ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें। आलोचक यह भी कहते हैं कि भारत सरकार के लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसे की अत्यधिक आवश्यकता है। राज्य के द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा देना तार्किक प्रतीत नहीं होता।

निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रसंशनीय है। निर्वाचन आयोग ने लोक सभा के 17 चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, लेकिन इसको प्रभावी बनाने के लिए भारत में तत्काल कुछ और चुनाव सुधारों की आवश्यकता है, **जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं** -

- दलों को प्राप्त चंदों को सार्वजनिक कर उसके स्रोत को निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए। वर्तमान में 20,000 रुपए से ज्यादा प्राप्त राशि को सार्वजनिक रूप में निर्वाचन आयोग को बताना होगा।
- चुनाव आचार संहिता को वैधानिक आधार प्रदान किया जाए व इसके उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को सौंपा जाए।
- एक प्रत्याशी को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाए। प्रत्याशी के चुनाव खर्च में दल के द्वारा खर्च की गई राशि को भी सम्मिलित किया जाए।
- प्रत्येक राजनीतिक दलों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाए।
- जिन सांसदों और विधायकों के विरुद्ध अपराध के मामले लंबित हैं, उनको निपटाने के लिए **फॉस्ट ट्रैक कोर्ट** की स्थापना होनी चाहिए और एक निश्चित समय सीमा में इनके विरुद्ध चल रहे मामलों को निस्तारित किया जाना चाहिए।
- सांसदों एवं विधायकों के लिए निर्धारित खर्च का पालन सख्ती से किया जाए।
- चुनावों की वित्तीय सहायता सरकारों के द्वारा भी प्रदान की जा सकती है। इसका समर्थन इन्द्रजीत गुप्ता समिति ने किया था।
- भारत में लोकतंत्र की मूल समस्या प्रत्येक राजनीतिक दल का अलोकतांत्रिक होना है। अत: इनमें भी आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। विगत् 73 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय है।

चुनाव सुधार एवं न्यायपालिका

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, **जो निम्नलिखित हैं** -

- वर्ष-2002 में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने शपथ-पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देना आवश्यक है। जैसे-प्रत्याशी के विरुद्ध किसी न्यायालय में कितने मुकदमें चल रहे हैं और कितने मुकदमों में प्रत्याशी दंडित किया जा चुका है, अथवा मुकदमें में दोषमुक्त होने का विवरण। ऐसे मामलों का विवरण देना आवश्यक है, जिसमें 2 वर्ष या अधिक सजा का प्रावधान है और ऐसे मामलों में प्रत्याशी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हो।
- चुनावी उम्मीदवार पति/पत्नी एवं उनके आश्रितों के नाम बैंक में जमा राशि एवं चल-अचल संपत्ति का विवरण देना आवश्यक है।
- उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता एवं बकाया देनदारियों का विवरण देना भी आवश्यक है।
- बिजली, पानी, परिवहन, आवास, टेलीफोन इत्यादि बकायों की सूचना देना भी आवश्यक है।
- वर्ष-2005 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दो वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा पाए हुए प्रत्याशी चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं, भले ही उन्होंने निर्णय के खिलाफ अपील कर रखी हो।
- 10 जुलाई, 2013 को उच्चतम न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8(4) को असंवैधानिक करार दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वप्रथम कांग्रेस सांसद रसीद मसूद की सदस्यता समाप्त हुई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा की संसद सदस्यता समाप्त हो गई।

- 10 जुलाई, 2013 को उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा जनप्रतिनिधित्व (संशोधन एवं वैधीकरण) विधेयक, 2013 पारित किया गया, जिसके अनुसार जेल में बंद व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में बना रहता है। अतः वह निर्वाचक भी बना रहता है। इसीलिए वह चुनाव प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर सकता है।
- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 10 मार्च, 2014 को निचली अदालतों को यह निर्देश दिया कि सांसदों तथा विधायकों के मामलों को एक वर्ष की तय समय सीमा में निपटाएं।
- वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वी. वी. पी. ए. टी.) प्रणाली के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय ने 8 अक्टूबर, 2013 को निर्देशित किया।

चुनाव सुधार के संबंध में विधि आयोग के रिपोर्ट

विधि आयोग के 170वें रिपोर्ट में चुनाव सुधारों के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए। आयोग के अनुसार, भारत में आनुपातिक चुनाव प्रणाली के प्रयोग पर सरकार के द्वारा विचार किया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि दल-बदल अधिनियम के अंतर्गत् सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा होना चाहिए। वर्तमान में अयोग्यता का निर्धारण लोक सभा अध्यक्ष करता है।

चुनाव आयोग का अपना पृथक् सचिवालय होना चाहिए तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री लोक सभा में विपक्ष का नेता अथवा सबसे बड़े दल का नेता और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होना चाहिए। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को हटाने का प्रावधान एक समान होना चाहिए। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संपादित जनमत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और जिन संस्थाओं के द्वारा जनमत आयोजित होता है, उनकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए।

आयोग के अनुसार, उम्मीदवारों को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करना (Right to Recall) अभी भारतीय परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं है। सरकार के द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों पर नियंत्रण तथा किसी उम्मीदवार को दो स्थानों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में दल के द्वारा किए गए चुनाव खर्च भी शामिल होने चाहिए। आयोग ने पेड न्यूज (Paid news) के प्रावधान को मुक्त चुनाव या स्वतंत्र चुनाव का विरोधी कहा है। आयोग ने अनिवार्य मतदान के प्रावधान का समर्थन नहीं किया।

.....

Most Trusted Learnig Platform
KHAN SIR

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(Comptroller and Auditor General)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक **(CAG)** का वर्णन है। यहां नियंत्रक का अर्थ है - सरकार के समस्त खर्चे पर निगरानी करना तथा ऐसा प्राधिकार रखना, जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। महालेखा परीक्षक का अर्थ है - संसद द्वारा आवंटित धन की देख-रेख करना साथ ही यह देखना की सरकारी धन का प्रयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं, साथ ही साथ सरकार को वित्तीय मितव्ययिता के तरीके बताना। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षा का कार्य करता है, न कि नियंत्रक का।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) एकल सदस्यीय संस्था है। यह भारत के महालेखा परीक्षा विभाग का संवैधानिक प्रमुख है और इस विभाग के अन्य अधिकारी पूर्णत: कैग के अधीन होते हैं। भारत के अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में कई अन्य अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्यों के लेखाओं की जानकारी कैग को देते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है और वह राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम उम्र 65 वर्ष (इन दोनों में जो भी पहले पूरा हो) तक होती है।

पद से हटाना

कैग को अपने पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होगा। कैग के पेंशन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होती है तथा कैग से अवकाश प्राप्ति के पश्चात् कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता।

नियुक्ति पर विवाद

कैग के रूप में शशिकांत शर्मा की नियुक्ति पर एक याचिका दाखिल किया गया था और कहा गया कि इनकी नियुक्ति अवैध है, क्योंकि वे रक्षा मंत्रालय के एक पद पर हैं, जो कि एक निर्णय लेने वाली संस्था है। कैग का कार्य सरकारी विभागों का ऑडिट (परीक्षा) करना है। एक व्यक्ति स्वयं कैसे अपने विभाग का ऑडिट कर सकता है। यह ऑडिट अगस्ता वेस्ट लैण्ड मामले में अभी किया जाना है, जो रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है।

कार्य

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम एवं कार्य में अंतर पाया जाता है। भारत में यह नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता, क्योंकि सरकार के द्वारा भारत की संचित निधि से व्यय के लिए इसके पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पैसे खर्च होने के बाद उसका कार्य शुरू होता है। संघ सरकार के खर्च का केवल लेखा परीक्षण किया जाता है, जबकि लेखांकन संघ सरकार के विभागों के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किए जाते हैं। अत: भारत में लेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों का अलग-अलग नहीं है।

संरचना

इस संविधान में वित्त आयोग की संरचना का उल्लेख नहीं है। इसलिए संसदीय अधिनियम, 1951 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्य होंगे, **जो निम्नलिखित खर्चों का ऑडिट करता है –**

- भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी खर्चों की।
- भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि से सभी खर्चों का परीक्षण करना।
- किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि की जांच करना।
- सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करना।
- सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करना।

- उन सभी निगमों के खर्चों की जांच करना, जिन्हें कानून द्वारा कैग को अनुमति दी जाए।

लेखा परीक्षण की विधियां

लेखा परीक्षण के अंतर्गत् निष्पादन परीक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा यह जांच किया जाता है कि सरकार के द्वारा खर्च राशि का कितना व्यावहारिक लाभ प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वैधानिक परीक्षण भी किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि पैसा जिस मद के लिए दिया गया था क्या उसी मद में खर्च किया गया है? साथ ही सरकार के द्वारा पैसे के खर्च में मितव्ययिता का भी परीक्षण किया जाता है, जिससे फिजूल खर्चों पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

लेखांकन (Accounting) कार्यपालिका से संबंधित विभाग का कार्य है। विभाग अपने खर्चों की गणना स्वयं करता है, जबकि लेखा परीक्षण (Auditing) एक अर्द्ध-संसदीय कार्य है। समस्त धन का आवंटन देश की संसद करती है। अत: कैग को देखने का यह अधिकार है कि जो धन व्यय हुआ है, वह कहां और कैसे हुआ है? इसी सिद्धांत पर भारत में वर्ष-1976 से लेखांकन तथा लेखा परीक्षण का कार्य अलग कर दिया गया। लेखांकन का कार्य मंत्रालय/विभाग द्वारा स्वयं किया जाता है, जबकि लेखा परीक्षण का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। परंतु अब भी कैग के पास यह अधिकार है कि वह लेखांकन के तरीके निर्धारित करे, जिससे देश में लेखांकन नियमों में एकरूपता स्थापित हो सके।

शक्तियां

यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च लेखांकन संस्था है। यह संस्था सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है एवं किसी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है तथा किसी भी विभाग से दस्तावेज मंगवा सकता है।

कैग (CAG) एवं लोक लेखा समिति

कैग अपना लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है और संसद के द्वारा कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति (Public Account Committee : PAC) को सौंपा जाता है व लोक लेखा समिति द्वारा कैग की रिपोर्ट को सरलीकृत किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। कैग लोक लेखा समिति की सहायता करता है। लोक लेखा समिति के द्वारा रिपोर्ट को समझने के लिए कभी भी कैग को बुलाया जा सकता है। कैग की रिपोर्ट तकनीकी किस्म की होती है। इसलिए लोक लेखा समिति के द्वारा इसे सरल बनाया जाता है और इसके बाद इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कैग को सरकार के धन की रखवाली की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है अर्थात् कैग की भूमिका जनता के पैसे की रक्षक के रूप में है। कार्यपालिका के वित्तीय खर्च को विधायिका के समक्ष नियंत्रित करना है अर्थात् वित्तीय क्षेत्र में कार्यपालिका को विधायिका के समक्ष उत्तरदायी बनाती है।

वर्तमान विवाद

वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के द्वारा कुछ मामलों पर अनुमानित घाटे की बात की जा रही है, जो आजकल विवाद का मूल कारण बना हुआ है, जिनमें 2-G स्पेक्ट्रम विवाद प्रमुख है। 2-G स्पेक्ट्रम आवंटन वर्ष-2008 में **पहले आओ, पहले पाओ** के आधार पर किया गया। परंतु कैग का मानना था कि यदि यह आवंटन नीलामी प्रक्रिया के आधार पर किया गया होता, तो सरकार को लगभग 1 लाख, 70 हजार करोड़ का लाभ होता, जो कि अनुमानों पर आधारित जांच थी। इसी तरह कोयला ब्लॉक आवंटन में भी घाटा दिखाया गया। 2-G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक के आवंटन में कैग के द्वारा भारी अनियमितता का आरोप लगाया गया, इसमें कैग ने अनुमानित घाटे की संकल्पना का प्रयोग किया, जो वर्तमान समय में दुनिया के अनेक देशों में प्रयोग किया जा रहा है।

आलोचकों के अनुसार, कैग ने अपनी परंपरागत् भूमिका से आगे बढ़कर कार्य किया और नीति-निर्माण के मामलों में भी हस्तक्षेप किया, जबकि नीति-निर्माण सरकार का विशेषाधिकार है, परंतु ज्यादातर लोग इन आलोचनाओं से सहमत नहीं हैं, बल्कि वे कैग की भूमिका से सहमत हैं, क्योंकि कैग ने सरकार के 2-G स्पेक्ट्रम मामले में **पहले आओ, पहले पाओ** की प्रक्रिया में कमी बताई और बताया कि इससे सरकार को करोड़ों का राजस्व घाटा हुआ। कैग ने जनता के धन के संरक्षक होने के कारण राजस्व की इस क्षति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। बाद में कैग की राय से सहमत होते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2-G स्पेक्ट्रम आवंटन को पूर्णत: रद्द कर दिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि कैग की भूमिका सही थी।

कैग की आलोचना

वर्तमान समय में कैग की भूमिका तथा कार्य विवादों के घेरे में हैं। कैग ने जिन संभावित घाटों की बात कही है, उससे देश का एक वर्ग संतुष्ट नहीं है तथा कैग की भूमिका पर संदेह प्रकट कर रहा है, साथ ही यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकारी नीतियों पर संभावना के आधार पर कैग प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? इस परिप्रेक्ष्य में यह भी मांग उठने लगी है कि क्या कैग को बहुसदस्यीय बनाया जाए तथा प्रशासनिक निर्णय व खर्च का क्या पूर्णत: अलगाव किया जा सकता है? अनेक लोगों का यह विचार है कि नीति-निर्माण व पैसे के खर्च का मुद्दा एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं।

क्या कैग को बहुसदस्यीय बनाया जाए?

एक वर्ग का मानना है कि कैग को अधिक जिम्मेवार तथा उपयोगी बनाने हेतु इसे चुनाव आयोग की तरह बहुसदस्यीय निकाय बनाया जाए, जिससे पक्षपात रहित जांच प्रक्रिया अपनायी जा सके तथा व्यक्तिवादी प्रभावों का अभाव रहे। **कैग को बहुसदस्यीय बनाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा रहे हैं –**

- एकल व्यक्ति के बजाए, समूह अधिक उत्तरदायी तथा प्रभावी हो सकता है।
- बहुसदस्यीय कैग राजनीतिक विवादों से दूर रहेगा।
- अधिक सदस्य होने पर जांच तथा अन्य कार्यभार विभाजित किए जा सकते हैं।
- दल विशेष की विरोध भावना का अभाव रहेगा तथा राष्ट्रपति को महत्व दिया जाएगा।

दूसरे वर्ग का मानना है कि कैग की कार्य प्रकृति बहुसदस्यीयता की मांग नहीं करती है। कैग का कार्य केवल जांच करना तथा रिपोर्ट देना है। चुनाव आयोग की तरह किसी व्यवस्थित कार्य को करना नहीं है। फलत: बहुसदस्यीय कैग की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैग अपने इसी संरचना में अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है।

सेवा शर्तें

संविधान की तीसरी अनुसूची में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के वेतन का उल्लेख किया गया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वर्ष-2018 में उसका वेतन बढ़ाकर 2 लाख, 50 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है, जो समय-समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का वेतन भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के समान होता है।

नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण तथा उसके सभी प्रशासनिक खर्चों, जिसमें सभी प्रकार के वेतन व भत्ते और पेंशन शामिल होंगे। भारत की संचित निधि पर भारित होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद-148 में किया गया है। संसद द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की सेवा शर्तों से संबंधित विधि का निर्माण वर्ष-1971 में किया गया। जिसके अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के वेतन व भत्तों का निधारण किया गया है। संसदीय विधि के अनुसार भी वर्ष-1976 से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत में दोनों (संघ एवं राज्यों) के लिए एक ही लेखा परीक्षक है। अत: संघ एवं राज्यों के लिए लेखा परीक्षण के लिए अलग प्रावधान नहीं है, अपितु एकहरी व्यवस्था की गई है। इसलिए राज्यों से संबंधित रिपोर्ट लेखा परीक्षक प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल के द्वारा इस रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-151 में किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए रिपोर्ट रखवाने की किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

रिपोर्ट का महत्त्व

लेखा परीक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुशंसात्मक होती है। राज्यों में रिपोर्ट विधान सभा के सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत की जाती है, जिससे विधान सभा को इस पर चर्चा का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं हो पाता। परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता। इसके बावजूद परीक्षक की रिपोर्ट को मीडिया के द्वारा अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है और इसे प्रचार-प्रसार प्राप्त होता है, जिससे जनमत का निर्माण होता है और सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण

भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण तथा निर्वाचन आयोग के कार्य एक-दूसरे के पूरक हैं और उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को प्रभावशाली बनाया गया है।

नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट अनुशंसात्मक होती है। इसीलिए इस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही संभव नहीं है, परंतु परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है और न्यायालय के द्वारा कोयले आवंटन और स्पेक्ट्रम के आवंटन को रद्द कर दिया गया है। अत: नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की बढ़ती शक्तियों में न्यायालय का अत्यधिक योगदान है।

सार्वजनिक-निजी सहभागिता का लेखा परिक्षण (Public Private Partnership)

नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के द्वारा अभी भी पी. पी. पी. के अतंर्गत् चलने वाली परियोजनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया जा रहा है। जबकि इन परियोजनाओं में सार्वजनिक व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है और वर्तमान में इनका बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कुछ परियोजनाओं का लेखा परीक्षण किया गया है। परंतु पी. पी. पी. के अंतर्गत् संचालित परियोजनाओं के लेखा परीक्षण के लिए संसदीय अधिनियम, 1971 में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें लेखा परीक्षक को पी. पी. पी. की परियोजनाओं के लेखा परीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में कैग एक स्वायत्त संस्था है और इसके अतिरिक्त यह एक संवैधानिक और प्रशासनिक संस्था भी है, जिसकी भूमिका उच्चतम न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग की भांति महत्त्वपूर्ण है।

.....

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learnig Platform
KHAN SIR